

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक:- प० 1(8)मं.म./2014

जयपुर, दिनांक: 3/12/14

—:: परिपत्र ::—

राजस्थान विधानसभा का आगामी सत्र (बजट सत्र) माह फरवरी, 2015 में आरम्भ होने की रामबाना है, जिसने नहामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण पढ़ा जावेगा। इस अभिभाषण में यथा संभद्र राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 की महत्वपूर्ण उपलब्धियों एवं नीति/निर्णयों का संक्षेप में विवरण होगा। इराके अतिरिक्त आगामी वित्तीय वर्ष में जिन योजनाओं एवं कार्यक्रमों को आरम्भ किया जावेगा उनका भी संक्षिप्त विवरण होगा।

अतः निवेदन है कि गहामहिम राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण में सम्मिलित करने हेतु आपके विभाग से संबंधित सामग्री स्तरल हिन्दी भाषा में संकलित कर तीन-तीन प्रतियों में मय साफ्ट कॉपी के निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए, इस सचिवालय को दिनांक 07 जनवरी, 2015 तक आवश्यक रूप से प्रेषित की जाये:—

1. समरत अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विशिष्ट शासन सचिव अपने अधीन प्रागाध्यक्षों को यह निर्देश दें कि वे राज्यपाल महादय के अभिभाषण में सम्मिलित किये जाने योग्य सामग्री तत्काल प्रशासनिक विभाग को भिजवा दें।
2. विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर प्रशासनिक सचिवों को भेजी जाने वाली उस महत्वपूर्ण सूचना का ही संकलन करें, जिसका अभिभाषण में सम्मिलित किया जाना चाहनीय हो और जो विभाग की उपलब्धियों/भावी कार्यक्रमों पर प्रकाश छालती हो।
3. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विशिष्ट शासन सचिव अपने स्तर पर केवल उतनी ही सामग्री का अभिभाषण के लिये बयन करें, जिसका अभिभाषण में सम्मिलित किया जाना परमावश्यक हो। यथा संभव संकलित सामग्री एक पृष्ठ से अधिक ना हो, ताकि उसको अधिक संक्षिप्त करने में इस सचिवालय को अधिक काट-छांट नहीं करनी पड़े।

4. राज्यपाल अभिभाषण के लिये भेजी जाने वाली सामग्री में जहाँ कहीं भी उपलब्धियों अथवा धनराशि से संबंधी आंकड़े दिये जावें, वे शब्दों में अंकित किये जावें।
5. इस सचिवालय को भेजा जाने वाली सामग्री पर संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर प्रेषित करें।


कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें एवं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सम्मिलित की जाने वाली विषय सामग्री सरल हिन्दी भाषा में निर्धारित तिथि दिनांक 07 जनवरी, 2015 तक मय सोफ्ट कॉर्प इस सचिवालय को निश्चित रूप से प्रेषित की जावें।


(अजीत कुमार सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

1. अतिरिक्त मुख्य सचिवगण,
2. समरत प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव;
3. समरत विगागाध्यक्ष;
4. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग एवं प्रकोष्ठ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राजरथान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजरथान, जयपुर।
3. निदेशक, सूचना एवं जनरल्पर्क दिभाग, राजरथान, जयपुर।
4. निदेशक, राजकौम्प निदेशालय, राजरथान, जयपुर को इस सचिवालय की वैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


(हरी बाबू शर्मा)
वरिष्ठ शासन उप सचिव